

स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट



ई - विवरणिका

E- Prospectus

2022-2023

महाविद्यालय का परिचय

स्व० चन्द्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट, उत्तराखण्ड के जनपद बागेश्वर के मुख्यालय से 23 कि०मी० दूर कपकोट तहसील के ग्राम असों में शासनादेश संख्या 304/XXIV/2005 दिनांक 16 नवम्बर 2005 के तहत 2005 में स्नातक महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। सत्र 2006-07 में हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, चित्रकला, गृह विज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषयों में कु० वि० वि० से अस्थाई सम्बद्धता प्राप्ति पर 67 छात्र/छात्राओं के प्रवेश के साथ इन्टर कालेज असों परिसर के चार कक्षाओं में प्रारम्भ हुआ। वर्ष 2010 में शासन से इतिहास एवं समाजशास्त्र विषय में एवं 2013 में शिक्षाशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषयों की स्नातक स्तर पर स्वीकृति मिली। 2016 में भूगर्भ विज्ञान विषय स्नातक स्तर पर स्वीकृत हुआ। शासनादेश संख्या 527 (1)/ XXIV (7)/2016-25(घो०)/15 दिनांक 21 अक्टूबर 2016 के तहत हिन्दी, संस्कृत, गृह विज्ञान, एवं चित्र कला विषयों के स्नातकोत्तर कक्षाओं संचालित करने की स्वीकृति मिली। शासनादेश संख्या 995 XXIV-C-2/2021/11(06)2021 दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के तहत **महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चिकृत हुआ** एवं अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर सहायक प्राध्यापक के दो पद स्वीकृत हुए। सत्र 2021-2022 में 370 छात्र/छात्रायेँ अध्ययनरत रहेँ। महाविद्यालय को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त है। महाविद्यालय में पठन पाठन हेतु तीन स्मार्ट क्लास उपलब्ध है। महाविद्यालय में वर्ष 2010 से उ० मु० वि० वि० का अध्ययन केन्द्र संचालित है। महाविद्यालय सितंबर 2012 से यू० जी० सी० की धारा 2 एफ से आच्छादित है। महाविद्यालय पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं। पाठ्येत्तर क्रिया कलाओं के तहत एन० सी० सी०, एन० एस० एस० इकाई कार्य कर रही है, कैरियर परामर्श, क्रीड़ा गतिविधियाँ आदि का आयोजन किया जाता है।

स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही जी एक परिचय

प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्र सिंह शाही जी का जन्म 12 अगस्त 1909 को ग्राम असों कपकोट जनपद बागेश्वर में हुआ था। देश सेवा की भावना से ओत-प्रोत होकर 17 फरवरी 1941 ई को उन्होंने प्रथम बार व्यक्तिगत सत्याग्रह किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा, बरेली, लखनऊ आदि जेल में भी बंद रहे। 27 दिसंबर 1944 ई० को कपकोट में मंडल कांग्रेस की स्थापना की और मंत्री बने। 1948 से 1958 तक वे जिला बोर्ड अल्मोड़ा के निर्वाचित सदस्य रहे। 1950 में असों में जूनियर हाई स्कूल समिति और जूनियर हाई स्कूल कर्मों की स्थापना में सहयोग दिया। शाही जी ने बागेश्वर से कपकोट तक श्रमदान से सड़क बनवाई, सड़क निर्माण में दानपुर के प्रत्येक गांव के नागरिकों ने सहयोग दिया। सामाजिक कार्यों को करने में उनकी विशेष रुचि रही। क्षेत्र के चहुँमुखी विकास हेतु उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़िवादिता तथा अशिक्षा को दूर करने का प्रयास किया। स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही को स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ताम्रपत्र भेंट किया गया। 12 मार्च 1988 को उनका देहांत हो गया। शाही जी के अविस्मरणीय कार्यों को याद करते हुए उनके सम्मान में सन् 2015 से महाविद्यालय का नाम राजकीय महाविद्यालय कपकोट से बदलकर **स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय कपकोट** कर दिया गया।

महाविद्यालय परिवार छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों एवं सुविधा प्रदान करने में हमेशा तत्पर रहता है , इस क्रम में महाविद्यालय में छात्र – छात्राओं को निम्न सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं-

1- कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल- इसमें छात्रों के करियर के विषय में चयन, तैयारी और नियोजन संबंधी परामर्श दिया जाता है जिसका उद्देश्य अनिश्चितता, बेचैनी तथा भावनात्मक तनावों का निवारण करना है, ताकि वे सुदृढ तथा सशक्त होकर सही निर्णय ले सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों एवं व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में यहां व्याख्यानो और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

2-पुस्तकालय- महाविद्यालय के पुस्तकालय से स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को 04 पुस्तके निर्गत की जा सकेंगी।

अ. पुस्तके सामान्यतः एक माह के लिए निर्गत की जाती हैं। विद्यार्थी एक माह बीत जाने पर पुस्तक बदल सकते हैं।

ब. विद्यार्थियों को महाविद्यालय के पुस्तकालय की समस्त पुस्तके जमा किए बिना नो ड्यूज (अदेय प्रमाण पत्र) नहीं दिया जाएगा।

स. पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए विद्यार्थियों को स्वयं उपस्थित होना है, बिना परिचय पत्र के पुस्तके निर्गत नहीं की जाएगी। प्रत्येक कक्षा की पुस्तक निर्गत करने हेतु समय सारणी निर्धारित की जाएगी। विद्यार्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर ही पुस्तक ले सकेगा। समय सारणी समय-समय पर सूचना पट पर चस्पा कर दी जाएगी।

3- **वाचनालय-** महाविद्यालय में छात्रों एवं छात्रों के लिए वाचनालय की व्यवस्था है, जिसमें हिंदी व अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने खाली वादनो में वाचनालय में बैठकर इन पत्र- पत्रिकाओं को पढ़कर समय का सदुपयोग करें।

4-**एन0सी0सी0 (राष्ट्रीय कैडेट कोर)-** छात्र-छात्राएं स्नातक स्तर पर एन0सी0सी0 में प्रवेश ले सकते हैं वर्तमान में छात्र-छात्राओं हेतु एन0सी0सी0 में 100 सीटे हैं।

5- **राष्ट्रीय सेवा योजना-**स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षणेत्तर कार्यकलापों द्वारा समाज की सेवा करना है वर्तमान में इसकी दो इकाइयां कार्यरत हैं। प्रत्येक इकाई हेतु निर्धारित 100 छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर कुल 200 छात्र/छात्राओं का एन0एस0एस0 में पंजीकरण किया जाता है।

6- **क्रीडा एवं खेलकूद-** महाविद्यालय में क्रिकेट ,वॉलीबॉल, कैरम ,शतरंज एवं बैडमिंटन आदि की व्यवस्था है।

7-छात्रवृत्तियां तथा आर्थिक अनुदान- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /पिछड़ी जाति/ अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस हेतु सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, पिता का आय प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना ना हो, गत वर्ष उत्तीर्ण अंक तालिका (यदि गैप है तो शपथ पत्र) आदि के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर को जमा करेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन अवश्य प्रस्तुत कर दें। सामान्य वर्ग के निर्धन व मेधावी छात्रों को निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता दी जाती है।

8-छात्र संघ - लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के आधार पर कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान के अधीन प्रत्येक वर्ष छात्र संघ के चुनाव कराए जाते हैं। जिससे छात्रों को संप्रेषण कौशल तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। इस संदर्भ में सभी विद्यार्थियों को सचेत किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री अथवा पोस्टर दीवारों पर लिखना, स्टीकर आदि महाविद्यालय या शहर में नहीं लगाए जाएंगे। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं।

9-सांस्कृतिक परिषद- छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण चारित्रिक विकास में सांस्कृतिक परिषद का विशेष योगदान होता है। महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसके पदाधिकारी महाविद्यालय के नियमित छात्र-छात्राएं होते हैं। परिषद के तत्वाधान में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

10-विभागीय परिषद- स्नातक स्तर के सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है। इन परिषदों के तत्वाधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विचार संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित अन्य पाठ्य विषयों का उपयोगी ज्ञान छात्रों को कराना भी इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य है।

11- शास्ता मण्डल-महाविद्यालय का शास्ता मंडल परिसर में सामान्य अनुशासन सुनिश्चित करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के सलाहकार का कार्य करता है। इसमें मुख्य शास्ता तथा अन्य सदस्य शास्ता होते हैं।

12-महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ-इसका गठन संस्थागत छात्राओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व संपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। छात्राएं अपनी किसी भी समस्या के विषय में यहां संपर्क कर सकती हैं।

13 - छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ – इसका गठन संस्थागत छात्र- छात्राओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व संपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है।

14- एण्टी-रैगिंग समिति- महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्णतया निषिद्ध है। यदि रैगिंग में किसी छात्र-छात्रा को संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) अध्ययन केंद्र

स्वर्गीय चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) का अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय वर्ष 2010 से संचालित किया जा रहा है। यूओयू की स्थापना नवंबर 2011 में उत्तराखंड शासन अधिनियम संख्या 23 द्वारा की गई। इस महाविद्यालय के अध्ययन केंद्र में वर्तमान में करीब विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं। जिनके लिए परामर्श सत्र नियमित रूप से महाविद्यालय में आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में संचालित किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

1-	Master Degree Program
2-	Bachelor Degree Program
3-	PG Diploma

नोट -समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल में होंगे उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मान्यता अनुसार प्रवेश अन्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रम के साथ भी लिए जा सकते हैं अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी अध्ययनकेंद्र कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

सामान्य नियम

- 1-महाविद्यालय द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में निर्गत सूचनाओं में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
- 2-परिसर में शांति व्यवस्था बनाना और कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न ना करना विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- 3- छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित प्रभारी अथवा छात्र-छात्रा अधिष्ठाता से संपर्क करेंगे किसी भी परिस्थिति में छात्र-छात्राएं सीधे प्राचार्य से नहीं मिल पाएंगे
- 4- महाविद्यालय संचालन हेतु समय-समय पर जारी सूचनाओं सूचना पट पर लगा दी जाती हैं छात्र-छात्राएं प्रतिदिन सूचना पट पर लगाई गई जानकारी पर ध्यान दें
- 5- विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अनुशासित रहते हुए निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें
- 5.1- महाविद्यालय परिसर चार दिवारी तथा कक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर लगाना वर्जित है
- 5.2- विद्यार्थियों द्वारा अपने पास अग्नेयस्त्रो को लेकर महाविद्यालय परिसर में घूमने अपराध होगा जिसकी तुरंत प्राथमिक सूचना दर्ज कराई जाएगी
- 5.3- विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना महाविद्यालय भवन के किसी हिस्से में पीक थूकना वर्जित है
- 5.4-महाविद्यालय की संपत्ति विद्यार्थियों की अपनी संपत्ति है फर्नीचर आदि की सुरक्षा करना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होगा
- 5.5- महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि भी महाविद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूक रहेंगे
- 5.6- महाविद्यालय के मुख्य द्वार के आसपास तथा महाविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन खड़ा करना निषेध है प्रत्येक छात्र अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करेंगे
- 5.7-महाविद्यालय परिसर में कक्षाओं के भीतर मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है
- 5.8-उत्तराखंड शासन एवं उच्च शिक्षा निर्देशालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अतः छात्र-छात्राओं को ड्रेस कोड का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महाविद्यालय में संचालित विषय (स्नातक)-

1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. संस्कृत, 4. अर्थशास्त्र, 5. शिक्षाशास्त्र, 6. राजनीतिशास्त्र,
7. समाजशास्त्र, 8. इतिहास, 9. गृहविज्ञान, 10. चित्रकला

महाविद्यालय में संचालित विषय (स्नातकोत्तर)-

1. हिन्दी, 2. संस्कृत 3. गृहविज्ञान 4. चित्रकला 5. अंग्रेजी

प्रवेश नियम (सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर / महाविद्यालय / संस्थान हेतु) (शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

अध्याय-1

साधारण नियम-

विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय / संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जाएगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण / परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

परिसरों / महाविद्यालयों/ संस्थानों में प्रवेश हेतु परिसरों/महाविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी अनन्तिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए प्रवेश समितियाँ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आवेदनकर्ताओं (आवेदन पत्र) का आंकड़ा (Data) Excel Format में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उपरोक्त डाटा डाउनलोड करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को इमेल के माध्यम से भेजने के लिए सूचित किया जा सकता है। परिसर / महाविद्यालय / संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय / संस्थान में अपने आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिनार / आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में

से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अन्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

1-6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1-7(क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम / कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय / परिसर/महाविद्यालय / संस्थानों की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अहं होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस / प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी / समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार / निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत "धोखाधड़ी से प्रवेश

लेना" माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर / महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1-10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित परिसर / महाविद्यालय / संस्थान / संकाय/तिमाग में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1- अनुसूचित जाति | 19 प्रतिशत |
| 2- अनुसूचित जनजाति | 04 प्रतिशत |
| 3- अन्य पिछड़ा वर्ग | 14 प्रतिशत |
| 4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त) |

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट: स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा-

- | | |
|--|------------|
| (1) महिलाएँ | 30 प्रतिशत |
| (2) भूतपूर्व सैनिक | 05 प्रतिशत |
| (3) दिव्यांग | 04 प्रतिशत |
| (4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित | 02 प्रतिशत |

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा।) उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1-12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

- (1) Extension in date of admission upto 30 days

(iii) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving of domicile requirements.

1-13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा-

- (क) एन०सी०सी० 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक
- (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)- 20 अंक
- (ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/ पति/पत्नी/सगा भाई/बहन- 20 अंक
- (घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध-सैनिकों के पुत्र / पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई/बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई / बहन 20 अंक
- (ड) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 50 अंक
- (च) अन्तर- विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्करने पर 40 अंक
- (छ) शासन द्वारा/खेल फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर 30 अंक
- (ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
- (झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
- (ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक
- (ट) जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर (ठ) अन्तर-महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर / महाविद्यालय / संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट- उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1-14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/विभाग/संकाय / महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1-15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु-

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त-

1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 02 वर्षों के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्ताकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।
3. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :- यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट / डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

नोट: नौ वर्ष में स्नातक करने वालों की यह व्यवस्था NEP 2020 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही लागू होगी, अन्य विद्यार्थियों के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए नियम ही लागू होंगे।

4. नविष्य में यू०जी०सी० अथवा एन०एच०ई०क्यू०एफ० राज्य सरकार के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1-16 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरों / महाविद्यालयों/ संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं / पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम 15 दिन (पन्द्रह दिन) के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1-17 एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में किसी एक एड-ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1-6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1-18 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1-19 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1-20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग संबंधी विनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

अर्हता निर्धारण के नियम

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु (शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

अध्याय-2

2-1 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम-

स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट / Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद / यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय में 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का

तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)।

यदि दो अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक / मेरिट अंक, जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा कला/विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण की हों, बराबर होते हैं तो वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/ गई हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र/छात्रा पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश चाहता/चाहती है तो ऐसे छात्र/छात्रा द्वारा परिसर / महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा, जिसके उपरान्त ऐसे छात्र/छात्रा को सम्बन्धित परिसर / महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर / महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर / महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आए व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई बहन से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिगा जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्ण स्थान के विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/ संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

(b) for Bachelor of Arts (B.A.)

अभ्यर्थी को तीन मुख्य विषय (Three Major Subject) का चुनाव निम्नलिखित समूहों से चुनेगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अलग-अलग समूहों से ही चुने जा सकेंगे।

A	B	C	D	E	F
English Lit	Drawing & Painting	History	Education	Hindi literature	Political science
Sanskrit Lit	Economics		Sociology		
	Home Science				

वैधानिक नियन्त्रण- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

**** प्रवेश नियम एवं अध्यादेश हेतु विश्वविद्यालय website ssju.ac.in/nep पर जाये**

महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी

प्राचार्य डॉ० बी० सी० तिवारी (प्रभारी)

प्राध्यापक -वर्ग

- | | |
|--|----------------------|
| 1. डॉ० नीता शाह (असि० प्रो०) | हिन्दी विभाग |
| 2. श्रीमती ममता सुयाल (असि० प्रो०) | चित्रकला विभाग |
| 3. डॉ० मुन्ना जोशी (असि० प्रो०) | संस्कृत विभाग |
| 4. डॉ० पवन कुमार झा (असि० प्रो०) | अर्थशास्त्र विभाग |
| 5. डॉ० एल्बा मंड्रेले (असि० प्रो०) | अंग्रेजी विभाग |
| 6. डॉ० बलजीत (असि० प्रो०) | संस्कृत विभाग |
| 7. कु० प्रियंका गुप्ता (असि० प्रो०) | गृहविज्ञान विभाग |
| 8. श्रीमती भगवती टम्टा (असि० प्रो०) | राजनीतिशास्त्र विभाग |
| 9. दिव्या पाठक (असि० प्रो०) | हिन्दी विभाग |
| 10. श्रीमती दीपिका नेगी (असि० प्रो०) | शिक्षाशास्त्र विभाग |
| 11. डॉ० शालिनी पाठक (संविदा प्रवक्ता) | संस्कृत विभाग |
| 12. डॉ० कल्पना जोशी (गेस्ट फैकल्टी) | समाजशास्त्र विभाग |
| 13. श्रीमती पूजा लोहिया (गेस्ट फैकल्टी) | गृहविज्ञान विभाग |
| 14. डॉ० रीता आर्या (नितान्त अस्थायी) | हिन्दी विभाग |
| 14. डॉ० दीप्ती लोहनी (नितान्त अस्थायी) | गृहविज्ञान विभाग |
| 15. डॉ० राजेन्द्र सिंह बिष्ट (नितान्त अस्थायी) | हिन्दी विभाग |
| 16. श्रीमती निवेदिता लोहिया (नितान्त अस्थायी) | चित्रकला विभाग |
| 17. डॉ० भावना जोशी (नितान्त अस्थायी) | चित्रकला विभाग |

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

तृतीय श्रेणी कर्मचारी

1. श्री विजय कुमार जोशी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
2. दीपक पन्त वरिष्ठ सहायक मोबाइल 8889803696
3. दीपक आर्या कनिष्ठ सहायक (उपनल) मोबाइल-9720159455

प्रयोगशाला सहायक -

1. कु० सरस्वती गब्यार्ल भूगर्भ विज्ञान
2. श्रीमती संगीता ध्यानी गृहविज्ञान (उपनल)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. रोहित कुमार (उपनल)
2. श्रीमती हंसी देवी (उपनल)
3. श्री नवीन सिंह (उपनल)
4. श्री रवि धपोला (उपनल)

महाविद्यालय के प्रभारीगण

1	प्रवेश समिति (बी0ए0 प्रथम एवम् द्वितीय)	दिव्या पाठक
	प्रवेश समिति (बी0ए0 तृतीय एवम् चतुर्थ)	डॉ0 मुन्ना जोशी
	प्रवेश समिति (बी0ए0 पचम एवम् षष्ठ सेमे0)	श्रीमती ममता सुयाल
2	अनुशासन मण्डल (मुख्य अनुशास्ता/ रैगिंग निषेध)	प्रो0बी0 सी0 तिवारी
3	महिला उत्पीडन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	श्रीमती ममता सुयाल
4	राष्ट्रीय सेवा योजना	डॉ पवन कुमार झा, डॉ बलजीत
5	एन0सी0सी0	डॉ मुन्ना जोशी
6	करियर काउंसलिंग	श्रीमती दीपिका नेगी
7	क्रीडा प्रभारी	श्रीमती ममता सुयाल
8	पुस्तकालय प्रभारी/ ई-ग्रन्थालय	दिव्या पाठक
9	अभिभावक संघ	डॉ मुन्ना जोशी
10.	पुरातन छात्र परिषद	डॉ0 मुन्ना जोशी
11	छात्रसंघ	डॉ मुन्ना जोशी
12	एण्ट्री ड्रग समिति	श्रीमती प्रियंका गुप्ता
13	सांस्कृतिक परिषद	दिव्या पाठक
14	छात्रवृत्ति	श्रीमती भगवती टम्टा
15	समन्वयक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय	डॉ मुन्ना जोशी

स्व० चन्द्र सिंह शाही राजकीय महाविद्यालय, कपकोट (बागेश्वर)
दूरभाष फ़ैक्स – 05963 253433 ईमेल- kapkotebgr@gmail.com, Website: www.gdckapkote.in

प्राचार्य प्रो० बी० सी० तिवारी (प्रभारी) मोबाइल- 9627042032

शिक्षणेत्र कर्मचारी

1. श्री दीपक आर्या कनिष्ठ सहायक (उपनल) मोबाइल-9720159455

विवरणिका संयोजक - डॉ० कल्पना जोशी

सदस्य- श्रीमती पूजा लोहिया

श्रीमती संगीता ध्यानी